भारत-इज़रायल द्विपक्षीय निवेश समझौता

भारत और इज़रायल ने एक नवीन **द्विपक्षीय निवेश समझौते (Bilateral Investment Treaty - BIT)** पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके साथ ही **इज़रायल पहला OECD देश बन गया है जिसने भारत के नवीन BIT मॉडल** को अपनाया है। इस समझौते ने 1996 के BIT (जिसे 2017 में समाप्त किया गया था) को प्रतिस्थापित किया।

- इससे **दोनों देशों के बीच निवेश (वर्तमान में लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर) बढ़ने** की संभावना है।
- समझौता **अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण की स्थिति में निवेशकों को उचित मुआवज़े** की गारंटी देता है।
- विवाद समाधान हेतु **मध्यस्थता-आधारित तंत्र** प्रदान करता है।

द्विपक्षीय निवेश समझौता

- निवेशकों को **इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (ISDS) या स्टेट-टु-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट** का अधिकार देता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** के कानून की धारा 38(1)(a) के तहत मान्यता प्राप्त है।

भारत का मॉडल द्विपक्षीय निवेश समझौता, 2015

- पुराने मॉडल **BIT (1993) को वर्ष 2015 में नए मॉडल BIT** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- **परिभाषा एवं संरक्षण:**
  - निवेश को उस उद्यम के रूप में परिभाषित करता है जो निवेशक द्वारा होस्ट कंट्री के घरेलू कानूनों के अनुसार स्थापित, संगठित और संचालित हो।
  - प्रत्येक पक्ष अर्थात् निवेशकों और निवेश को संरक्षण एवं सुरक्षा देने की आवश्यकता पर बल देता है।
  - विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।
  - होस्ट कंट्री की विदेशी निवेश पर नियंत्रण करने की क्षमता को सीमित करता है।
- **अपवाद प्रावधान:** सरकारी प्रोक्योरमेंट, कराधान, सब्सिडी, कंपल्सरी लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को BIT के दायरे से बाहर रखा गया।
- **ISDS तंत्र:** विदेशी निवेशक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता (ISDS) का सहारा लेने से पहले न्यूनतम 5 वर्षों तक लोकल रेमेडीज़ का उपयोग करेंगे।

भारत के BIT से जुड़ी चुनौतियाँ	आगे की राह
"निवेश" और "प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून (CIL) की स्पष्ट परिभाषा का अभाव", जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं।	**"निवेश" और "प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून" (CIL)** जैसे शब्दों की सटीक परिभाषा सुनिश्चित की जाए।
विवाद समाधान में विलंब – **स्थानीय उपायों (Local Remedies) को न्यूनतम 5 वर्ष** तक अपनाने की अनिवार्यता।	निवेशकों को प्रारंभ में ही विकल्प दिया जाए कि वे **स्थानीय न्यायालयों या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता** का चयन कर सकें।
सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN) और निष्पक्ष एवं समतामूलक व्यवहार (FET) प्रावधानों का अपवर्जन, जिससे निवेशकों का विश्वास घटता है।	MFN एवं FET प्रावधानों को उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ सम्मिलित किया जाए ताकि **ट्रीटी-शॉपिंग (Treaty Shopping) रुके और भेदभाव रहित निरस्तीकरण** सुनिश्चित हो।
ICSID कन्वेंशन से बहिष्कृत किये जाने से विदेशी निवेशकों के लिये प्रवर्तन विकल्प सीमित हो जाते हैं।	**ICSID का हस्ताक्षरकर्त्ता (Signatory) बनाया** जाए ताकि **निवेशकों का विश्वास बढ़े** और एक वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध हो।

पंजाब में बाढ़ संकट

पंजाब पिछले 40 वर्षों में यहाँ आई सबसे गंभीर बाढ़ों में से एक का सामना कर रहा है। वर्तमान बाढ़ संकट ने राज्य के सभी 23 ज़िलों को प्रभावित किया है।

बाढ़ के कारण

प्राकृतिक कारण	मानवजनित कारण
↳ **प्रबल मानसूनी वर्षा और जलवायु परिवर्तन:** जलग्रहण क्षेत्रों में अनियमित और तीव्र वर्षा तथा जलवायु परिवर्तन (IPCC AR6) नदियों के उफान और बाढ़ का कारण बनते हैं। ↳ **प्रमुख बाढ़ें** 1955, 1988, 1993, 2019 और 2023 में। ↳ **भौगोलिक संवेदनशीलता:** पंजाब में तीन स्थायी नदियाँ हैं (रावी, ब्यास, सतलज) और कुछ मौसमी नदियाँ (घग्गर और अन्य छोटी सहायक नदियाँ)। ↳ ये नदियाँ राज्य की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे भारत के कुल गेहूँ उत्पादन का लगभग 20% और चावल का 12% उत्पादन केवल 1.5% भूमि से होता है। इस कारण इसे "भारत का अन्न भंडार" कहा जाता है।	↳ **बांध प्रबंधन के मुद्दे:** भारी वर्षा के दौरान भाखड़ा, पोंग और थीन बांधों से असमन्वित रूप से जल को छोड़ना। ↳ **शासन में खामियाँ:** भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB), पंजाब के सिंचाई अधिकरणों और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी। ↳ **अनियंत्रित विकास:** बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण, वनों की कटाई और अनियंत्रित विकास प्राकृतिक बाढ़ अवरोधों को कम करते हैं।

चुनौतियाँ

- केंद्र द्वारा नियंत्रित बांध **सिंचाई और विद्युत् उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे बाढ़ प्रबंधन पर कम ध्यान** दिया जाता है।
  - वर्ष 2022 में BBMB में पदों की भर्ती के संदर्भ में किये गए संशोधन द्वारा **शीर्ष पद पर गैर-पंजाब/हरियाणा अधिकारियों की नियुक्ति)** ने राज्य-केंद्र संबंध तनावपूर्ण बनाए।
- सरकारें अक्सर बाढ़ के बाद प्रतिक्रिया देती हैं, जबकि अवैध रेत खनन और अव्यवस्थित जलनिकासी जलभराव को और बदतर करते हैं।
- अनियमित मानसून, अत्यधिक वर्षा और स्थानीय स्तर पर सीमित तैयारी बाढ़ प्रबंधन और लचीलेपन में चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह / समाधान

- **बांधों से पानी छोड़ने पर केंद्र-राज्य समन्वय** में सुधार की आवश्यकता है; **सी-फ्लड सिस्टम** को अपनाया जाए और इसे **भुवन प्लेटफॉर्म** के माध्यम से मौसम और जलविज्ञान डेटा के साथ एकीकृत किया जाए।
- समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है।
- **धुस्सी बांधों (मिट्टी के तटबंधों)** में निवेश की आवश्यकता है, **अवैध खनन को रोका जाए (सैटेलाइट निगरानी)** और जलनिकासी तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाए।
- बाढ़-प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा दिया जाए, कृषि क्षेत्र में विविधता के साथ-साथ बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र का विस्तार किया जाए, डिजिटल अलर्ट और क्षमता निर्माण (कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से) किया जाए।

सी.पी. राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित

सी.पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश **बी. सुंदरशन रेड्डी को हराया।**

स्मरणीय बिंदु

- **परिचय:** राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है (अनुच्छेद 324)।
- **मूल उत्पत्ति:** अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद के अनुरूप।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 63-71।
- **निर्वाचन:** अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित – निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य + राज्यसभा के नामित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
- **अर्हता:** भारत का नागरिक होना चाहिये और न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष; पुनर्निर्वाचन के लिये अर्हता रखता है।
- **पद रिक्तता**
  - उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं।
  - राज्यसभा में प्रभावी बहुमत (सभी सदस्य) तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है (साधारण बहुमत); हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
  - संविधान हटाने का कोई आधार नहीं बताता।
- **शक्तियाँ**
  - **राज्यसभा का पदेन सभापति:** लोकसभा अध्यक्ष के समान अधिकार और कार्य।
  - **राष्ट्रपति का कार्यभार:** राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार सँभाल सकते हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फॉस्फेट रॉक माइन

पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने राजस्थान के जैसलमेर के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) पर्यावास क्षेत्र **में बिरमानिया रॉक फॉस्फेट खदान के लिये EIA को मंज़ूरी दे दी है।**

- **परिचय एवं पर्यावास:** GIB विश्व के **सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है; यह भारत में पाई जाने वाली 4 बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है** (अन्य तीन प्रजातियाँ हैं- लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वीन बस्टर्ड)।
  - **यह पक्षी मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है**; गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छोटी आबादी मौज़ूद है।
  - यह **सर्वाहारी** है और **सामने देखने की क्षमता (frontal vision)** की कमी के कारण बिजली की तारों के संपर्क में आ जाते हैं।
  - यह एक **कीस्टोन प्रजाति** है।
  - संरक्षण स्थिति:
  - **WPA, 1972:** अनुसूची I
  - **IUCN:** गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)
  - **CITES:** परिशिष्ट I

फॉस्फेट रॉक

- **उच्च फास्फोरस घटक वाला** एक अवसादी चट्टान, जिसका निर्माण लाखों वर्ष पूर्व समुद्र तल पर कार्बनिक पदार्थों के संचय द्वारा हुआ है।
  - इसके खनन हेतु उपयोग की जानी वाली प्रमुख गतिविधियों **में ओपन पिट, ड्रैगलाइन तथा एक्स्कैवेटर शामिल हैं**।
- **प्रमुख भंडार: अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कज़ाखस्तान तथा मध्य-पूर्व।**
  - **सबसे बड़ा भंडार: मोरक्को** (फॉस्फेट का अग्रणी वैश्विक उत्पादक)।
  - **भारत में** फॉस्फेट रॉक का उत्पादन मुख्य रूप से **राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता है**। भारत अपनी फॉस्फेट रॉक का लगभग 90% आयात करता है।
- **इसके प्रमुख उपयोगों में फॉस्फेट** उर्वरक, पशुओं के लिये कैल्सियम फॉस्फेट पोषण पूरक तथा औद्योगिक रसायन शामिल हैं।

- **नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान:** वर्ष 2013 में शुरू की गई इस योजना को वर्ष 2033 तक विस्तारित किया गया है।
- इसका नेतृत्व भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किया जा रहा है **तथा यह CAMPA द्वारा** साझेदार एजेंसियों के सहयोग से वित्तपोषित है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन, 2025

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन, 2025 का उद्घाटन किया जिसकी थीम- **वैश्विक प्रगति के लिये अंतरिक्ष का उपयोग: नवाचार, नीति और विकास** थी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रमुख भावी योजनाएँ

- वर्ष **2035** तक एक **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन** की स्थापना करना और वर्ष **2040** तक एक **भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा** पर भेजना लक्ष्य है।
- भविष्य के अन्वेषण अभियानों में **मंगल**, **शुक्र** और **क्षुद्रग्रहों** पर मिशन शामिल हैं।
- **गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम**।
- भारत के **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों** में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ **नासा-इसरो निसार मिशन** तथा जापान के साथ आगामी **चंद्रयान-5 मिशन** शामिल हैं।

हालिया उपलब्धियाँ

- **चंद्रयान-3 की सफलता** से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के समीप सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना।
- **ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला** अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय वायु सेना अधिकारी बने।

भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रमुख उपलब्धियाँ

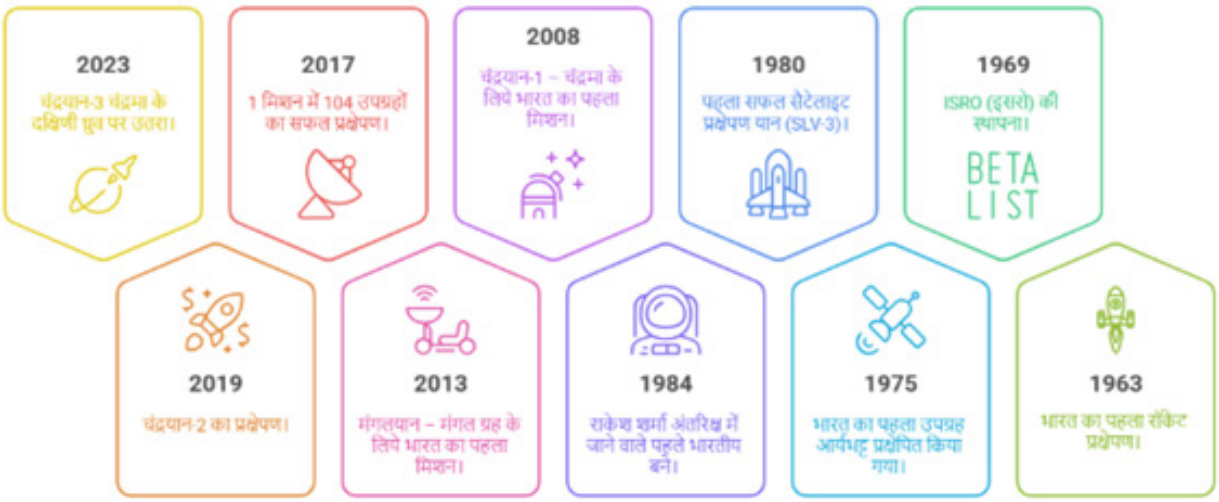

हिमाचल प्रदेश 'पूर्ण साक्षर' राज्य घोषित

यह घोषणा 8 सितंबर को **अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस** के अवसर पर **उल्लास कार्यक्रम** (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) के अंतर्गत की गई।

- हिमाचल प्रदेश **त्रिपुरा, मिज़ोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला चौथा राज्य बन गया,** जबकि लद्दाख पहला केंद्रशासित प्रदेश बन गया जिसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की (2024)।
- हिमाचल प्रदेश की **साक्षरता दर 99.30% है, जो राष्ट्रीय मानक 95%** से अधिक है।

उल्लास कार्यक्रम

- **यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (2022-27) है,** जो निरक्षर वयस्कों (15 वर्ष और उससे अधिक) को लक्षित करती है।
- **उद्देश्य: साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और जीवन कौशल जैसी वित्तीय साक्षरता** प्रदान करना।
- शिक्षण हेतु विषयवस्तु 26 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है एवं समावेशी साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- इसके अंतर्गत अभी तक 3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 42 लाख स्वयंसेवक शामिल किये गए, जिनमें से 1.83 करोड़ शिक्षार्थियों ने प्रारंभिक साक्षरता मूल्यांकन पूरा किया और 90% सफलता दर प्राप्त की।

- 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी **भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख** सकता हो, उसे साक्षर माना जाता है।
- **कार्यात्मक साक्षरता:** किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वह **पढ़ाई, लेखन और संख्यात्मक कौशल** का उपयोग दैनिक कार्यों में कर सके, जो **व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक भागीदारी** में योगदान करता है।
  - भारत की **कुल साक्षरता दर 80.9% है** (PLFS 2023-24)।

ZAPAD अभ्यास 2025

कुमाऊँ रेजिमेंट की एक बटालियन के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी रूस के निज़नी में **बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ZAPAD 2025** (10-16 सितंबर) में भाग लेगी।

- सोवियत काल के दौरान शुरू हुई ZAPAD अभ्यास शृंखला का **आयोजन रूस द्वारा वर्ष 2009 से किया जा रहा है।**